भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 325

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक आपदाओं संबंधी मुआवजा

325. प्रो. अच्युतानंद सामंतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उन किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने का विचार है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी पूरी अथवा आंशिक फसल, पूंजी और मशीनरी खो चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में बीजों की आपूर्ति, सरल ऋण आदि सुनिश्चित करने के लिए की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उर्वरकों के लिए राजसहायता आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम स्थिति के कारण फसल नुकसान/क्षति पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) खरीफ 2016 से शुरु की है।

प्राकृतिक आपदानों की स्थिति में राज्य सरकारें राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से आवश्यक राहत उपाय शुरू करने के लिए अधिकृत है, जो उनके पास सहज उपलब्ध होती है। एसडीआरएफ के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने पर और लागू मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से जारी किए जाने पर विचार किया जाता है। अधिसूचित राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अधीन वित्तीय सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है न कि हुए/दावा किए गए नुकसान की भरपाई के रूप में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अधीन वित्तीय सहायता 33 प्रतिशत या अधिक के फसल नुकसान के लिए इनपुट राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित स्थितियों जैसे जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बार-बार पुनरावृत्ति और बारिश पैटर्न में परिवर्तन जो भारत में आम हैं, के दौरान अल्प और मध्यम अवधि की किस्मों के बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अधीन राष्ट्रीय बीज भंडार (एनएसआर) घटक का भी

कार्यान्वयन कर रही है। 22 एजेंसियां एनएसआर का कार्यान्वयन कर रही हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बीज निगम है और 21 भिन्न राज्यों में हैं।

ब्याज राहत योजना (आईएसएस) वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य किसानों को रियायती अल्पकालिक राहत ऋण उपलब्ध कराना था जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण भी शामिल हैं। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए किसानों को पुनर्गठित फसल ऋण पर 2% की ब्याज राहत और 3% की त्वरित चुनौती प्रोत्साहन प्रदान की जाती है।

(ग) सरकार पहले ही रियायती दरों पर किसानों को यूरिया उपलब्ध करा रही है। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलबध कराई जाती है। यूरिया की 45 किलोग्राम बोरी की एमआरपी 242 रूपए प्रति बोरी (नीम कोटिंग और लागू कर प्रभार अलग से) है और यूरिया की 50 किलोग्राम की बोरी की एमआरपी 268 रूपए प्रति बोरी (नीम कोटिंग और लागू कर प्रभार अलग से) है। खेत में यूरिया पहुंचाने की लागत और और यूरिया यूनिटों द्वारा उगाही जाने वाली निवल बाजार लागत के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। भारत सरकार पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना के तहत पीएण्डके उर्वरकों पर भी राजसहायता दे रही है। इस नीति के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले वार्षिक आधार पर पी एण्ड के उर्वरकों पर राजसहायता घोषित की जाती है। प्रत्येक पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर प्रति किलोग्राम आधार पर राजसहायता घोषित की जाती है जिसे प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित किया जाता है जो इन उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा रियायती स्तर पर पी एण्ड के उर्वरकों की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) को निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में पी एण्ड के उर्वरकों के 21 ग्रेडों पर एनबीएस नीति लागू है।

****